COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रं.– /2016–2017 पुनःरीक्षण

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/2849

मदनलाल आयु 57 वर्ष पिता राजारामजी पांचाल,
निवासी ग्राम बलेड़ी तहसील बडनगर जिला उज्जैन
.......आवेदक

प्रार्थी अभिभावक श्री ... द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 03-8-17
अधीक्षक 03.8.17
आयुक्त कार्यालय उज्जैन

विरूद्ध

1–सुरेशचन्द्र पिता रमेशचन्द्रजी भुतड़ा जाति महाजन, निवासी ग्राम बलेड़ी तहसील बड़नगर, हाल मुकाम रेशु मेडिकल स्टोर्स डॉ. विजय गर्ग के सामने वेदनगर सांवेर रोड़ उज्जैन

2–राजस्व निरीक्षक वृत –2 बलेड़ी तहसील बड़नगर

3–पटवारी मौजा ग्राम बलेडी तहसील बड़नगर
.........अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीदार महोदय तहसील टप्पा इंगोरिया तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रं.1–अ–12/2016–17 विविध मे पारित आदेश दिनांक 23–05–2017 से असन्तुष्ट एवं दुःखित होकर पुनःरीक्षण आवेदन पत्र

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

मान्यवर महोदय,

आवेदक की और पुनरीक्षण आवेदन पत्र सादर निम्नलिखित प्रस्तुत हैः–

यह कि, आवेदक के द्वारा अनावेदक के स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं.677 रकबा 1.80 हैक्टर मे से दक्षिण दिशा की भूमि जिस पर पूर्व–पश्चिम सेड़ा डालते हुए, जिसका रकबा 0.35 हैक्टर, तथा भूमि सर्वे नं.676/1 रकबा 2.63 हैक्टर मे से मध्य की भूमि जिस पर पूर्व–षश्चिम सैड़ा डालते हुए, जिसका रकबा 0.55 हैक्टर इस प्रकार कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 26–08–2015 को अनावेदक से क्रय की है, जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन अनावेदक ने आवेदक के पक्ष मे उप–पंजीयक कार्यालय बड़नगर के समक्ष निष्पादित करवाया है।

यह कि, उक्त विक्रय पत्र के पंजीयन के समय विक्रय की गई भूमि अनावेदक के अलावा, उसके भाई दिनेशचन्द्र पिता रमेशचन्द्रजी जाति महाजन निवासी ग्राम बलेड़ी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन तथा सुभाषचन्द्र पिता रमेशचन्द्रजी जाति महाजन निवासी ग्राम बलेड़ी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के सयुंक्त नाम पर दर्ज चली आ रही थी,। अनावेदक के द्वारा इन तीनो के सयुंक्त नाम की भूमि जो अलग–अलग सर्वे नम्बरो की रही होकर जिसका कुल रकबा 11.60 हैक्टर था, मे से आवेदन पत्र की कलम नं.1 मे वर्णित केवल 0.90 हैक्टर भूमि विक्रय की गई थी, इस कारण से विक्रय किये गये सर्वे नं.677 जिसका कुल रकबा 1.80 हैक्टर था, तथा भूमि सर्वे नं.676/1 का रकबा 2.63 हैक्टर था, जिसका मूल सर्वे नं.676 रहा होकर

निरंतर.............2

मदनलाल पांचाल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/2849

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. **मूढत** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब **नवीन** संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध **सुनवाई** कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई **हेतु** कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई **हेतु** दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	